>

Title: Need to amend food Security Act.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय, मैं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अधीन छोटे व्यापारियों के सामने आ रही परेशानियों के बारे में अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, पूरे देश में जब भी किसी फैक्ट्री से कोई खाद्य सामग्री बन कर तैयार होती है और देश के कोने-काने में जाती है तो सैंपल अधिकारी उसकी जांच करता है और उसके बाद जब छोटे-छोटे बाज़ारों में पहुंचती है और उसकी आपूर्ति की जाती है और वहीं पर फैक्ट्री से जो माल सील्ड पैक हो कर निकलता है तो जिले में जो फूड इंस्पैक्टर होते हैं, छोटे-छोटे दुकानदारों को आतंकित करते हैं और धमकाते हैं कि अगर सैंपल में कोई गड़बड़ी हुई तो तुम्हे जुर्माना भी भरना होगा और जेल भी जाना होगा। इस प्रकार से आतंकित कर के सैंपल अधिकारी भारी भरकम मोटी रकम उन छोटे-छोटे व्यापारियों से वसूलते हैं। खास कर के पूरे देश में तो यह समस्या है ही लेकिन उत्तर प्रदेश की बात मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जो शुल्क शासन द्वारा निर्धारित है, उससे कई गुना ज्यादा वसूला जाता है। सुविधा शुल्क के नाम पर अधिकारी उनको तरह-तरह से परेशान करते हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इसमें हस्तक्षेप करके व्यापारियों के उत्पीड़न को रोकने हेतु खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में इस तरह की व्यवस्था करे कि जहां से माल उत्पादित होता है, अगर उस फैक्ट्री के मालिक दोषी हों तो उनके लिए दण्ड का प्रावधान होना चाहिए। जब वहां से माल तैयार होकर छोटे-छोटे जिलों में छोटे-छोटे दुकानदारों के पास जाता है तो सैम्पल अधिकारी द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और उनसे मोटी रकम वसूली जाती है।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें। आपकी पूरी बात आ गयी है।

श्री दारा सिंह चौहान : मैं चाहता हूं कि ऐसी फैक्ट्रियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। लाइसेंस के रिन्यूवल के नाम पर जो उनसे अवैध रकम ली जाती है, मैं चाहता हूं कि ऐसा करने वालों के खिलाफ दण्ड का प्रावधान हो, छोटे-छोटे व्यापारियों को लाइसेंस दिया जाये और उनका शोषण बंद किया जाये।

सभापति महोदय :

श्री पी.एल.पुनिया और

एस.एस. रामासुब्बू का नाम श्री दारा सिंह चौहान जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

श्री सैयद शहनवाज़ हुसैन।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, ये दोबारा बोल रहे हैं।

सभापति महोदय : आप भी दिन में सदन में कई बार बोलते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, ये जीरो ऑवर में दोबारा बोल रहे हैं।

सभापति महोदय : आप लोग बैठ जाइये। मैं जिसे बोलने की अनुमति दे रहा हूं, कृपया वही बोले।